शुद्धिपत्र

नोडल अधिकारी, वाराणसी परियोजना के रूप में उत्तरदायित्व

नोडल अधिकारी (वाराणसी परियोजना) की योग्यता

कला / इतिहास / मानव विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट / डिग्री या स्कूलों में सेमिनार / कार्यशालाओं / सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन और 02 वर्षों के अनुभव के साथ समकक्ष।
समेकित पारिश्रमिक रु. 30,000 / - प्रति माह।

संस्कृति मंत्रालय की वाराणसी परियोजना के अन्तर्गत अधीनस्थ सीसीआरटी तथा आठ अन्य संस्थाओं द्वारा वाराणसी के शैक्षिक संस्थानों में स्थापित किए गये 34 व्याख्या केन्द्रों द्वारा आयोजित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के सफल कार्यन्वयन हेतु नोडल अधिकारी, वाराणसी परियोजना के रूप में उत्तरदायित्व निम्न प्रकार से होगें :-

1. प्रत्येक व्याख्या केन्द्र की गतिविधियों के निरीक्षण हेतु हर सप्ताह दौरा करना ।
2. सभी व्याख्या केन्द्रों की मासिक रिपोर्ट जो संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के हस्ताक्षरित एवं मुहर सहित एकीकृत रूप से नोडल अधिकारी के माध्यम से टिप्पणी सहित सीसीआरटी को प्रेषित करना ।
3. सीसीआरटी के अधीनस्थ व्याख्या केन्द्रों को प्रति माह रख-रखाव हेतु रूपये 10,000/- तथा ब्राडबैण्ड की सुविधा हेतु रूपये 1000/- अर्थत कुल राशि रूपये 11,000/- प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है जो ई.सी.एस. के माध्यम से विद्यालय / विद्यालय प्रमुख को स्थानान्तरित किया जाता है । इस संदर्भ में प्रत्येक विद्यालय से प्रत्येक माह का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा ब्राडबैण्ड बिल जो संबंधित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर सहित सत्यापित हो, अगले महीने की 05 तारीख तक अवश्य प्रेषित करना ।
4. वाराणसी परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक व्याख्या केन्द्र को प्रदान की गयी सामग्री (बोर्ड, बैनर, कुर्सी, मेज, कम्प्यूटर, किताबें आदि) के रख-रखाव को दृष्टिगत रखना एवं सामग्री तथा उपकरण, इत्यादि का वार्षिक सत्यापन करना ।
5. संबंधित व्याख्या केन्द्रों के नियुक्त पदाधिकारी जो परियोजना के संचालन में अहम भूमिका निभा रहे हैं उन सभी की तिमाही मीटिंग, जिसमें कि क्रियाकलापों की प्रगति के साथ-साथ अग्रिम गतिविधियों के लिए रोडमैप तैयार करना, तथा उनका आयोजन करना ।
6. अपने स्तर पर विशिष्ट गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफ, वीडियो रिकार्डिंग, अखबारों में प्रकाशित लेख व गतिविधियों का विवरण संकलित कर सीसीआरटी को प्रेषित करना ताकि प्रधानमंत्री कार्यालय तथा संस्कृति मंत्रालय को भी निरंतर अवगत कराया जा सके ।
7. वाराणसी परियोजना के अंतर्गत व्याख्या केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु संयुक्त निदेशक, राज्य शिक्षा विभाग, अर्दली बाजार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221002, इमेल - jdvaranasi123@gmail.com के साथ भी समय-समय पर समन्वय/तालमेल स्थापित करना ।